सं. ई.–32015/एसी (अग्नि)–06 Depu/2020–कार्मिक–।। - 1259

भारत सरकार
महानिदेशालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
(गृह मंत्रालय)

ब्लॉक–13, सीजीओ कॉम्पलेक्स
लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003
दिनांक : 25 अगस्त, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में सहायक कमाण्डेन्ट/अग्नि (प्रतिनियुक्ति के आधार पर अनुसूचित जनजाति–03 पद और सामान्य– 03 पद) की रिक्तियों को भरना।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में सहायक कमाण्डेन्ट (अग्नि) (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, गैर–मंत्रालयीय) रू. 15600–39100 सह ग्रेड वेतन रू. 5400/– के पे बैंड–3 {संशोधित पे लेवल –10 (रू. 56100–177500) 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार} में सहायक कमाण्डेन्ट (अग्नि) (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, गैर–मंत्रालयिक के रैंक में 06 (छः) पदों को (प्रतिनियुक्ति के आधार पर अनुसूचित जनजाति–03 पद एवं सामान्य–03 पद) भरा जाना प्रस्तावित है।

2. पद के लिए पात्रता मानदंड अनुलग्नक–। में दर्शाए गए हैं।

3. प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन–पत्रों के प्राप्त होने की अंतिम तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए चयनित अधिकारी का वेतन और अन्य विभिन्न शर्तें इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों और सीआईएसएफ नियमावली के अनुसार अधिशासित होंगी।

5. यह अनुरोध किया जाता है कि उपयुक्त पात्र और इच्छुक अधिकारी जिन्हें चयन होने की स्थिति में तत्काल ही कार्यभार से मुक्त किया जा सके, के संबंध में आवेदन–पत्र (तीन प्रतियों में) अनुलग्नक–।। (संलग्न) में दर्शाए गए निर्धारित प्रपत्र में, **महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ब्लॉक 13, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–03** को रोज़गार समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंदर, एपीएआर की अद्यतन प्रतियों (पिछले पांच वर्षों की) के साथ, अनुलग्नक–।।। के अनुसार संलग्न प्रपत्र में प्रमाण–पत्र और पिछले दस वर्षों के दौरान लगाई गई शास्ति (बड़ी/छोटी) यदि कोई है, की सूची सहित पहुंच जाए।

6. कृपया यह नोट किया जाए कि अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने पर अथवा अपेक्षित दस्तावेजों के बिना या किसी भी प्रकार से अपूर्ण आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा और इस संबंध में किसी पूर्व संदर्भ पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. यह भी अनुरोध किया जाता है कि पद को सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, अर्द्ध–सरकारी/स्वायत्त, सांविधिक संगठनों/नगर निगमों और आपके नियंत्रणाधीन स्थानीय निकायों में परिचालित किया जाए।

8. चूंकि यह नियुक्ति तत्काल की जानी है, अतएव अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त उल्लिखित आवेदन–पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि का सख्ती से पालन किया जाए।

संलग्नक : उपरोक्त।

25-8-20

(सचिन बादशाह)
उप–महानिरीक्षक/कार्मिक

लगातार..........पेज संख्या – 2

1. सभी मंत्रालय एवं विभाग : पद की सूचना संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को परिचालित करने के अनुरोध के साथ।
2. मुख्य सचिव, सभी राज्य एवं संघ शासित प्रदेश
3. सभी पुलिस महानिदेशक, राज्य एवं संघ शासित प्रदेश
4. महानिदशक, सभी सीएपीएफ
5. सचिव, केन्द्रीय लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
6. अवर सचिव (कार्मिक– I), गृह मंत्रालय, नई दिल्ली

<u>एन.ओ.ओ</u>

<u>आंतरिक</u>

सहायक महानिरीक्षक/तकनीकी :– यह अनुरोध किया जाता है कि विज्ञापन को सीआइएसएफ के बेब पोर्टल पर रोज़गार समाचार–पत्र में प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के लिए उपलब्ध करवाया जाए। (जिसे विज्ञापन के प्रकाशित होने पर सूचित किया जाएगा।)

1	पद का नाम	सहायक कमाण्डेन्ट/अग्नि
2	पद का वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, गैर मंत्रालयिक
3	पद का वेतनमान	पे–बैंड–3, रू. 15600/–39100 सह ग्रेड पे रू. 5400/– (संशोधित पे लेवल–10 (रू. 56100–177500) पे मेट्रिक्स में 7वें वेतन आयोग के अनुसार)
4	प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने वाले पदों की संख्या	प्रतिनियुक्ति के आधार पर अनुसूचित जाति – 03 पद एवं सामान्य–03 पद।
5	प्रतिनियुक्ति की अवधि	03 (तीन वर्ष)
6	आयु सीमा	रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की अंतिम तिथि पर 56 वर्ष
7	आवेदन–पत्र भेजने के लिए पात्रता शर्तें	**प्रतिनियुक्ति** केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधिकारी अथवा संघ शासित प्रदेश अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों अथवा अर्द्ध सरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठनों अथवा नगर निगम और सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा अनुसंधान केन्द्र के अधिकारी : (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारक; अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में पे–बैंड–2 रू. 9300–34,800 सह ग्रेड पे रू. 4800/– {संशोधित पे लेवल–8 (रू. 47,600–1,51,100) 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार} अथवा समतुल्य में एक नियमित आधार पर उससे नियुक्ति के पश्चात प्रदान की गई ग्रेड में दो वर्षों की सेवा; अथवा (iii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में पे–बैंड–2 रू. 9300–34,800 सह ग्रेड पे रू. 4600/– {संशोधित पे लेवल–7 (रू. 44,900–1,42,400, 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार} अथवा समतुल्य में एक नियमित आधार पर उससे नियुक्ति के पश्चात प्रदान की गई ग्रेड में तीन वर्षों की सेवा; अथवा (ख) शैक्षिक अर्हताओं एवं अनुभव प्राप्त :– **अनिवार्य** (क) (i) एक मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में बैचलर डिग्री। (ii) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर से एडवांस डिप्लोमा अथवा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, अग्निशमन सेवा संस्थान द्वारा संचालित प्रभाग अधिकारी पाठ्यक्रम का सफलतापूर्वक पूर्ण होना; अथवा अग्नि इंजीनियर्स संस्थान (भारत/ब्रिटेन) से ग्रेजुएटशिप। (iii) केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा केंद्र शासित प्रदेश अथवा अर्द्ध सरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठन अथवा नगर निगम अथवा स्थानीय निकायों के अधीन अग्निशमन सेवा विभाग में तीन साल का अनुभव; अथवा (ख) (i)– एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्नि अथवा अग्निशमन और सुरक्षा में इंजीनियरिंग की स्नातक डिग्री अथवा बीटेक की डिग्री। (ii)– केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा केंद्र शासित प्रदेश अथवा अर्ध सरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठन अथवा नगर निगम अथवा स्थानीय निकायों के अधीन अग्निशमन सेवा विभाग में तीन साल का अनुभव।

		टिप्पणी 1 : अन्य रूप से सुशिक्षित अभ्यर्थियों को योग्यता में छूट दिए जाने का मामला संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर होगा जिसके लिए कारणो को लिखित में दर्ज करना होगा, अन्यथा उम्मीदवार पूर्ण योग्य होना चाहिए। **टिप्पणी** 2 : अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अनुभव में छूट दिए जाने का मामला संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर होगा, जिसके लिए करणों को लिखित में दर्ज करना होगा, यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग को लगता है कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की प्रत्यक्ष लाइन में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी तरह प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र नहीं होंगे । (किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि तुरंत इस नियुक्ति से पहले समान या किसी अन्य संगठन या केंद्र सरकार के विभाग में तीन साल से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए)

स्व–विवरण (बायो डाटा) प्रपत्र

क.सं.	मद	विवरण	
1	बड़े अक्षरों में नाम एवं पता		
2	जन्म तिथि (ईस्वी सन)		
3	श्रेणी (सामान्य/अजा/अजजा/अपिव)		
4	केन्द्र/राज्य सरकार के नियमों के तहत सेवानिवृति की तारीख		
5	शैक्षिक योग्यता		
6	क्या पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं पूर्ण हैं। यदि किसी योग्यता को नियमों में निर्धारित किसी के समकक्ष माना गया है तो उसके लिए प्राधिकरण का उल्लेख करें।		
7	अनिवार्य	अपेक्षित योग्यता/अनुभव	अधिकारी की योग्यता/अनुभव
		1.......... 2..........	
8	ऐच्छिक	अपेक्षित योग्यता/अनुभव	अधिकारी की योग्यता/अनुभव
		1.......... 2..........	
9	कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि आपके द्वारा दर्ज की गई उपर्युक्त प्रविष्टियों को दृष्टिगत रखते हुए क्या आप पद की अपेक्षित योग्यताओं को पूरा करते हैं? यदि ऐसा है तो उसका औचित्य बताएं।		

10	कालानुक्रम में रोजगार का विवरण। यदि नीचे जगह अपर्याप्त है तो अपने विधिवत हस्ताक्षर सहित एक शीट अलग से संलग्न करें।					
	कार्यालय/संस्थान/संगठन	धारित पद	से	तक	वेतनमान एवं मूल वेतन	कार्य का स्वरूप

11	वर्तमान रोजगार का स्वरूप, अर्थात तदर्थ या अस्थायी या अर्द्ध स्थायी या स्थायी		
12	यदि वर्तमान रोजगार प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर हैं तो कृपया वर्णन करें।	क) प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि	
		ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध पर नियुक्ति की अवधि	
		ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे आप संबंधित हैं	
13	वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त विवरण	कृपया बताएं क्या आप निम्नलिखित के अधीन कार्यरत हैं:–	
		केन्द्र सरकार	
		राज्य सरकार	
		सार्वजनिक क्षेत्र के	

		उपकम	
		केन्द्र शासित प्रदेश	
		अर्द्ध सरकारी/सांविधिक	
		स्वायत्त संगठन	
		नगर पालिका तथा सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के अधिकारी	
		अनुसंधान केंद्र	
14	क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हां तो वह तिथि बताएं जब से संशोधन हुआ था और पूर्व संशोधित वेतमान को भी दर्शाएं।		
15	कुल परिलब्धियां	वेतन स्तर	
		वर्तमान वेतन	
		प्रति माह आहरित कुल परिलब्धियां	
16	अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो जिसको आप पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहेंगे। यदि जगह अपर्याप्त है तो एक शीट अलग से संलग्न करें।		
17	टिप्पणी		

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.......................................

दिनांक ....
....

पता..

....

उपर्युक्त विवरण रिकार्ड से सत्यापित किए गए हैं और सही हैं। यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी के विरूद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही, सतर्कता जांच, अदालती मामला न लंबित है और न ही विचारधीन है और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है। उक्त अधिकारी को केऔसुब में चयन होने पर कार्यभार मुक्त कर दिया जाएगा।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
कार्यालय मुहर के साथ

दिनांक : ....
स्थान : ....

अनुलग्नक– III

<u>नियोक्ता प्रमुख/अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला प्रमाण पत्र</u>

1. : प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...द्वारा प्रस्तुत विवरण सही हैं और ऊपर अनुलग्नक–II में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव उसके पास हैं।

2. : यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उसके विरूद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला न तो लंबित है न ही विचाराधीन है।

3 : उसका/उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है।

4. : श्री/श्रीमती/कुमारी ....को पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई बड़ी अथवा छोटी शास्ति जारी नहीं की गई है।

5. : अधिकारी द्वारा कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया है और न ही उसके विरूद्ध लंबित है।

6. : 2018–19 तक पिछले 5 वर्षों की एपीएआर की प्रतियां भारत सरकार के अवर सचिव पद तक के अधिकारी द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत रूप से सत्यापित (रबर स्टंप के साथ), संलग्न हैं।

स्थान :..
तिथि : ....

हस्ताक्षर...
नाम..
पदनाम..
एवं टेलीफोन नंबर..............................

<u>सहायक कमाण्डेन्ट/अग्नि के कर्त्तव्य</u>

वह अग्नि विंग के प्रभारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा यदि इकाई का नेतृत्व सहायक कमाण्डेन्ट (अग्नि) द्वारा किया जाता है और वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों की अग्निशमन संचालन, अग्नि से बचाव के उपायों से संबंधित को दिन–प्रतिदिन के कामकाज में सहायता करेगा। वह समय–समय पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गए अन्य कर्त्तव्यों का निष्पादन करेगा।

<u>केऔसुब मुख्यालय में</u>

केऔसुब में तैनात सहायक कमाण्डेन्ट(अग्नि) अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में सहायक महानिरीक्षक (अग्नि) की सहायता करेगा और जैसा उसे उसके वरिष्ठ द्वारा सौंपा जाएगा।

....